कृपया प्रकाशनार्थ - **10 जुलाई 2014**

रेल आपद्ग्रस्तों की बीमा राशी बढाने की माँग

मुंबई, गुरुवार : रेल हादसे में मृत व्यक्तिओं के परिवारजनों को तथा आपद्ग्रस्तों को मिलने वाला बीमा मुआवजा बढाने के विषय पर गंभीरता से विचार कर फैसला लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन रेल मंत्री श्री. सदानंद गौडा ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री. राम नाईक तथा उत्तर मुंबई के सांसद श्री. गोपाल शेट्टी को दिया. रेल मंत्रालय के संदर्भ में विविध प्रश्नों पर रेल मंत्री से विस्तार से चर्चा कर श्री. नाईक व श्री. शेट्टी ने उन्हें कई सुझाव भी दिए.

इस भेंट की अधिक जानकारी देते हुए श्री. नाईक व श्री. शेट्टी ने कहा, ‘‘रेल हादसे में मृत व्यक्ति के परिवारजनों को चार लाख रुपये बीमा दिया जाता है. रेल आपद्ग्रस्तों को भी उनके हालात के अनुसार बीमा दिया जाता है. यह बीमा राशी 1997 में निर्धारीत की गयी है. पिछले 16 वर्षों में इसमें कोई बढोत्तरी नही की गयी है. इन वर्षों में बढ़ी भारी महंगाई देख कर इस राशी में भी वृद्धि करने का सुझाव श्री. नाईक व श्री. शेट्टी ने रेल मंत्री को दिया; जिस पर निर्णय लेने का आश्वासन श्री. गौडा ने दिया’’.

मुंबई के रेलवे दावा अधिकरण से संबंधित वकिलों की बार असोसिएशन का आवेदन भी इस समय इन दोनों ने रेल मंत्री को दिया. रेल मंत्री ने इस आवेदन पत्र पर गौर करने का वादा भी किया. आवेदन में लिखी सबसे महत्त्वपूर्ण बात पर इन दोनों ने रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. पिछले दो वर्षों से इस अधिकरण के एक न्यायिक सदस्य की जगह रिक्त है और केवल तांत्रिक सदस्य ही फैसला दे रहा है. इस से आपद्ग्रस्तों की ओर न्याय की दृष्टी से नही देखा जा रहा है; ऐसा श्री. नाईक व श्री. शेट्टी ने कहा. इस स्थान पर न्यायिक सदस्य नियुक्त करने का वादा रेल मंत्री श्री. गौडा ने किया.

श्री. राम नाईक तथा श्री. गोपाल शेट्टी ने मुंबई उपनगरीय रेलवे के बारे में भी रेल मंत्री से विचार विमर्श किया. मुंबई रेलवे की स्थिती के बारे में रेल मंत्रालयद्वारा श्वेत पत्रिका जारी करने का अनुरोध रेल मंत्री से श्री. राम नाईक और श्री. गोपाल शेट्टी ने किया. इस सुझाव पर गौर करने का आश्वासन भी रेल मंत्री श्री. सदानंद गौडा ने दिया है.

(कार्यालय मंत्री)